राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1859/2013/नागौर
अपील संख्या 1860/2013/नागौर
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट द्वितीय, वृत नागौर — अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स डेगाना स्टील ट्रेडर्स
नागौर — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थितः
श्री जमील जई
उप राजकीय अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
श्री ओ.पी.दोसाया
अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 20.01.2015

निर्णय

ये दोनों अपीलें सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, वृत–नागौर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा उपायुक्त(अपील्स), वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 87 व 88/12–13/नागौर में पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक 17.06.2013 के विरूद्ध पेश की गयी हैं। दोनों अपीलें एक ही व्यवहारी से सम्बन्धित है तथा इनमें विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियॉ पृथक–पृथक पत्रावलियों पर रखी जाये।

अपील संख्या 1859/2013 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि उक्त फर्म का सर्वेक्षण सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,घट–तृतीय, मेड़तासिटी (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जावेगा) द्वारा 28.07.2011 को फर्म प्रोपराईटर की उपस्थिति मे किया गया। वक्त सर्वेक्षण व्यवसाय स्थल पर रखी दो कच्ची बिल बुक एवं एक लाल डायरी सपायी गयी, जिन्हें जांच एवं लेखा पुस्तकों से मिलान हेतु सीज कर, सीजर मेमो दिया गया, क्योंकि सर्वेक्षण के वक्त फर्म की लेखा पुस्तकें व्यवसायी ने पेश करने में असमर्थता व्यक्त की ।

दिनांक 07.12.2011 को उन दो कच्ची बिल बुकों एवं डायरी का व्यवसायी प्रो. श्री सिराजुदीन एवं फर्म अधिकृत प्रतिनिधि श्री महावीर शर्मा ने उपस्थित होकर ऑडिट में फर्म की नियमित बिलबुक एवं लेखा पुस्तकें पेश कर वर्ष 2011–12 की रू. 1884601.69/– की प्रविष्टियों का फर्म की नियमित लेखा पुस्तकों से मिलान नही करवाये जाने पर फर्म की उचंती बिक्री प्रथम दृष्टया मान कर वाद दर्ज कर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को वास्ते निर्णय प्रेषित किया। कर निर्धारण अधिकारी ने पत्रावली पर उपलब्ध ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011–12 की प्रथम व द्वितीय तिमाही अवधि में व्यवसायी द्वारा रू. 1884601.69/– की, की गई बिक्री पर करापंवचन

किया जाना मानकर व्यवसायी को समय–समय पर सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये। नोटिस की पालना में फर्म प्रो0 श्री सिराजुदीन ने उपस्थित होकर रू. 1884601.69/– की करापंचन बिक्री के संबंध में अपना जवाब प्रस्तुत किया, कर निर्धारण अधिकारी ने माना कि सर्वेक्षण दिनांक तक उसने रू. 24,72,038/– की बिक्री दर्शा रखी थी, इसके विपरीत रू. 2,96,355/– की कर चुकी खरीद भी कर रखी है, जिनका मिलान नियमित लेखा पुस्तकों से नहीं होने जवाब को अस्वीकार करते हुए रू. 1884601.69/– की बिक्री को उचंती बिक्री मानते हुए इस राशि पर 5 प्रतिशत से रू. 92,747/– तथा कर चुकी खरीद रू. 29,662/– पर 4 प्रतिशत से कर रू. 1,186/– कुल कर रू. 93,933/– एवं धारा–61 के तहत कर की दुगनी शास्ति रू. 1,87,866/– आरोपित की तथा धारा–55 के तहत 9 माह का ब्याज रू. 8,454/– कुल रू. 2,90,255/– की मांग सृजित की गई।

अपील संख्या 1860/2013 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि उक्त फर्म का सर्वेक्षण सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,घट–तृतीय, मेड़तासिटी (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जावेगा) द्वारा 28.07.2011 को फर्म प्रोपराईटर की उपस्थिति मे किया गया। वक्त सर्वेक्षण व्यवसाय स्थल पर रखी दो कच्ची बिल बुक एवं एक लाल डायरी सपायी गयी, जिन्हें जांच एवं लेखा पुस्तकों से मिलान हेतु सीज कर, सीजर मेमो दिया गया, क्योंकि सर्वेक्षण के वक्त फर्म की लेखा पुस्तकें व्यवसायी ने पेश करने में असमर्थता व्यक्त की ।

दिनांक 07.12.2011 को उन दो कच्ची बिल बुकों एवं डायरी का व्यवसायी प्रो. श्री सिराजुदीन एवं फर्म अधिकृत प्रतिनिधि श्री महावीर शर्मा ने उपस्थित होकर ऑडिट में फर्म की नियमित बिलबुक एवं लेखा पुस्तकें पेश कर वर्ष 2010–11 की रू 12,46,902/– की प्रविष्टियों का फर्म की नियमित लेखा पुस्तकों से मिलान नहीं करवाये जाने पर फर्म की उचंती बिक्री प्रथम दृष्टया मान कर वाद दर्ज कर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को वास्ते निर्णय प्रेषित किया। कर निर्धारण अधिकारी ने पत्रावली पर उपलब्ध ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010–11 की अवधि में व्यवसायी द्वारा रू. 12,46,902/– की, की गई बिक्री को करापंवचन कर की जानी मानी जाने पर व्यवसायी को समय–समय पर सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये। नोटिस की पालना में फर्म प्रो0 श्री सिराजुदीन ने उपस्थित होकर रू. 12,46,902/– की करापंचन बिक्री के संबंध में अपना जवाब प्रस्तुत किया, जिसका मिलान नियमित लेखा पुस्तकों से नहीं होने से जवाब को अस्वीकार करते हुए रू. 12,46,902/– पर धारा–25 के तहत वैट 4 प्रतिशत से रू. 49,876/– एवं धारा–61 के तहत कर की दुगनी शास्ति रू. 99,752/– आरोपित कर कुल राशि रू. 1,58,606/– की मांग सृजित की गई।

उक्त सृजित मांग राशियों को प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष विवादित करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश पारित कर कतिपय निर्देशों के साथ प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दिये।

अपील की सुनवाई आरम्भ होते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय दिनांक 17.06.2013 से प्रकरण प्रतिप्रेषित किये गये थे, जिनकी पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने पुनः वर्ष 2010—11 एवं 2011—12 के कर निर्धारण आदेश पर दिनांक अंकित नहीं की गई है, किन्तु आदेश पत्र पर आदेश पारित करने की दिनांक 24.06.2014 को पारित किये गये हैं,जिनकी प्रति बहस के दौरान प्रस्तुत की गई, इसलिए जिन आदेशों के विरूद्ध अपीलें प्रस्तुत की गई थीं, वे आदेश अब अस्तित्व में नहीं रहे हैं । अतः अपीलें सारहीन **(Infructuous)** हो जाने से अस्वीकार योग्य हैं।

अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने प्रत्यर्थी व्यवहारी के कथन का विरोध करते हुए गुणववगुण पर निर्णय करने का तर्क प्रस्तुत किया।

दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया गया तथा अपीलीय अधिकारी के पृथक—पृथक आदेश दिनांक 17.6.2013 एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन पृथक—पृथक आदेश दिनांक 17.06.2013 के अवलोकन पर ज्ञात होता है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पुनः जांच कर आदेश पारित करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये गये। बहस के दौरान प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि उक्त प्रतिप्रेषित आदेशों के अनुसरण में कर निर्धारण अधिकारी ने पुनः कर निर्धारण आदेश दिनांक निल पारित किये जा चुके हैं।

अतएव अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषित आदेशों दिनांक 17.06.2013 की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः कर निर्धारण आदेश पारित कर दिये जाने से अब अपीलीय अधिकारी के प्रकरण प्रतिप्रेषित करने सम्बन्धी अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध विचाराधीन अपील चलने योग्य नहीं रहती है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **सहायक आयुक्त हनुमानगढ़ बनाम मैसर्स मोहित ट्रेडिंग [(2009) 25 टैक्स अपडेट 59]** के अभिनिर्णय में भी ऐसा ही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

परिणामतः राजस्व द्वारा अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन पृथक—पृथक आदेश दिनांक 17.06.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई प्रश्नगत अपीलें सारहीन (Infructuous) हो जाने से एतद्द्वारा खारिज की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य